प्रेस नोट–101/2026
दिनांक 16.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद हाथरस/थाना सादाबाद</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 16.02.2026 को थाना सादाबाद व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विसावर विधिपुर बंबा के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त हेमन्त घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सादाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद हाथरस के विभिन्न थानों पर हत्या आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सादाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–हेमन्त निवासी समदपुर थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

<u>बरामदगी</u>

1– चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना पी0जी0आई0

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 एयरगन**
- **चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **42 हजार 362 रूपये नगद**
- **04 अदद हाथ की घड़ी आदि बरामद**

दिनॉकः 16.02.2026 को थाना पी0जी0आई0 व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वृंदावन गेट से आगे सब्जी मण्डी के पास से 04 अभियुक्तों 1–सोनू पुत्र विजय शंकर 2–सोनू पुत्र लालबाबू 3–शक्तिमान 4–बृजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 एयरगन, चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण, 42 हजार 362 रूपये नगद, 04 अदद हाथ की घड़ी आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना पी0जी0आई0 क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पी0जी0आई0 पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद एयरगन, आभूषण, रूपये आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त सोनू पुत्र विजयशंकर के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना पी0जी0आई0 द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू पुत्र विजय शंकर निवासी नादरगंज पुरानी चौकी के पीछे गिन्दनखेड़ा थाना सरोजनीनगर, लखनऊ मूलपता–पजरांव थाना नुंआव जनपद कैमूर, बिहार।

2–सोनू पुत्र लालबाबू निवासी रामपुर रूद्र थाना पानापुर जनपद सारन (छपरा) बिहार।

3–शक्तिमान निवासी हालपता–नादरगंज पुरानी चौकी के पीछे गिन्दनखेड़ा थाना सरोजनीनगर, लखनऊ मूलपता–पजरांव थाना नुंआव जनपद कैमूर, बिहार।

4–बृजेश निवासी रामनगर कालोनी गिन्दनखेड़ा नादरगंज थाना सरोजनीनगर, लखनऊ मूलपता–किशनपुर रमसगरा थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 01 एयरगन।

2–चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण।

3–42 हजार 362 रूपये नगद।

4–04 अदद हाथ की घड़ी आदि।

जनपद बहराइच/थाना जरवल रोड

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **चोरी की मोटर साइकिल की 03 चेचिंस, 04 इंजन व अन्य पार्टस आदि बरामद**

दिनांक 16.02.2026 को थाना जरवल रोड पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरचन्दा रोड कस्बा जरवल के पास से 04 अभियुक्तों 1–फैयाज 2–सफीक 3–अलीमुद्दीन उर्फ सोनू 4–आजाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, चोरी की मोटर साइकिल की 03 चेचिंस, 04 इंजन व अन्य पार्टस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जरवल रोड पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फैयाज निवासी कटरा दक्षिणी जरवल कस्बा थाना जरवलरोड जनपद बहराइच।

2–सफीक निवासी तकिया मोहल्ला जरवलकस्बा थाना जरवलरोड जनपद बहराइच।

3–अलीमुद्दीन उर्फ सोनू निवासी मीरपुर थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।

4–आजाद निवासी परसोहर थाना जरवलरोड जनपद बहराइच।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2–चोरी की मोटर साइकिल की 03 चेचिंस, 04 इंजन व अन्य पार्टस आदि।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना देवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–यदुनन्दन उर्फ जग्गू 2–संतोष को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 3–रमेश को धारा 302/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–परदेशी कुमार 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहगढ़/थाना को0 कायमगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना को0कायमगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आकाश उर्फ यशपाल को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना नागल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना नागल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अरूण को सश्रम आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना हापुड़ नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त ऋषिपाल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————